आदेशिका

न्यायालय :– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 02, नागौर

दीवानी मूलवाद संख्या 69/2013, 922/2014

रामा बनाम भगवती

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
27.11.25	अधिवक्तागण उभय पक्षकारान उपस्थित। हस्तगत आदेश के माध्यम से अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1 (3) सीपीसी तथा प्रार्थीया/वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 (3) सीपीसी तथा आदेश 11 नियम 14 सीपीसी तथा के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जा रहा है। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1 (3) सीपीसी में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए यह निवेदन किया कि अप्रार्थी/वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं संशोधित वादपत्र का प्रतिवादीगण ने पूर्ण रूप से खण्डन किया है तथा न्यायालय द्वारा विरचित किये गये विवाद्यकों एवं जवाब के तथ्यों से सुसंगत दस्तावेजात को आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जा रहे हैं। उक्त दस्तावेजात मूल तथा प्रमाणित प्रतिलिपि दस्तावेजात है तथा हस्तगत प्रकरण से सुसंगत है अतः प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादिनी द्वारा दौराने बहस यह निवेदन किया कि प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में से अधिकांश दस्तावेज निजी दस्तावेज है जिन पर किसी तरह का विश्वास नहीं किया जा सकता। उक्त दस्तावेज देरी से प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया गया है। मामले को विलंबित करने की गर्ज से आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह दृष्टिगत होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात मूल तथा प्रमाणित प्रतिलिपि तथा कुछ दस्तावेजात फोटो प्रति दस्तावेजात है। विधि अनुसार फोटो प्रति दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत दस्तावेजात मूल तथा प्रमाणित प्रतिलिपि दस्तावेजात है जिनके संबंध में जिरह करने का अधिवक्ता	

27.11.25

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या 2, नागौर (राज.)

अप्रार्थी/वादिया को पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा। प्रस्तुत दस्तावेजात हस्तगत प्रकरण से संबंधित दस्तावेजात दृष्टिगत होते है। अतः अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1 (3) सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मूल तथा प्रमाणित प्रतिलिपि दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

अधिवक्ता प्रार्थीया/वादिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 सीपीसी में मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि वादिनी ने विभाजन के बाद में संशोधन कर प्रतिवादी महावीर तथा प्रतापराम के पक्ष में जारी पट्टो को निरस्त व रद्द करने का अनुतोष चाहा है। पूर्व में दावा विभाजन का होने से पट्टो की प्रमाणित प्रति पेश नही की जा सकी थी। संशोधन के बाद वादिनी के बयान के समय उक्त बात ध्यान में आयी। वादिनी इसी विश्वास में रही की प्रतिवादीगण ने मूल पट्टे वाद में पेश कर दिये हैं परंतु बयान के समय यह ज्ञात हुआ कि उक्त दोनो मूल पट्टे तथा उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रतिवादीगण द्वारा पेश नहीं की गई है। अतः वादिनी हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादग्रस्त पट्टो की प्रतियों को पत्रावली में शामिल करना चाहती है, अतः न्यायहित में पट्टो की प्रमाणित प्रतिलिपि को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र तथा बहस प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि आवेदन में वर्णित मूल पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपियां वादिनी ने अत्यंत देरी से प्रस्तुत की है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह दृष्टिगत होता है कि वादिनी द्वारा हस्तगत वाद मूल रूप से घोषणा विभाजन तथा स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात संशोधन के माध्यम से वादिनी द्वारा विवादग्रस्त पट्टो को अवैध शून्य तथा निरस्त घोषित कराने का संशोधन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह दृष्टिगत होता है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि है जिनके फर्जी अथवा कूटरचित होने की कोई संभावना नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचानानुसार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 (3) सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

अधिवक्ता प्रार्थीया /वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 14 सीपीसी में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त पट्टे जिनको निरस्त व रद्द करने का अनुतोष वादी ने अपने वाद में चाहा है। उक्त दोनो पट्टे प्रतिवादीगण के कब्जे तथा नियंत्रण में है। मूल पट्टो के बगैर वादिया द्वारा प्रस्तुत पट्टो की प्रति प्रदर्श नहीं हो सकेगी। दोनो पट्टो के अस्तित्व के बारे में प्रतिवादीगण का कोई विरोध नहीं है। अतः उक्त दोनो पट्टे प्रतिवादीगण से पेश करवाये जाने का आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा दौराने बहस यह निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा चाहे गये दस्तावेज अप्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 11.11.2025 को न्यायालय में पेश कर दिये हैं अतः उक्त दस्तावेजो को पुनः तलब करवाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह दृष्टिगत होता है कि दिनांक 11.11.2025 को अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा मूल दस्तावेजात को पेश किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजो को तलब करवाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 14 सीपीसी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 9.12.25 को पेश हो।

9.12.25

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या 02, नागौर